प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 17.06.2026

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 260/2026 धारा 64(1), 351(3) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर में वांछित अभियुक्त नाम पता 01. दिनेश कुमार पुत्र पल्टू निवासी वार्ड नं0 10 राजीव नगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 17.06.2026 को राजघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि 16.06.2026 को वादिनी द्वारा थाना महुली उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ जबरन दुष्कर्म करने तथा धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री परवेज अहमद, हे0का0 सम्स तबरेज, का0 राजमंगल यादव ।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 11000 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका को लाभ का प्रलोभन देकर उसके साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में ट्रांसफर हुए 81000 रुपये मे से 11000 रुपये की धनराशि आवेदिका के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री श्रीमती चन्दा पत्नी हिरालाल साकिन जूरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर से दिनाँक 09.02.2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका को लाभ का प्रलोभन देकर उसके साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में 81000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करवा लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदिका ने तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 23102240015222 पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 81000 रुपये मे से 11000 रुपये की धनराशि को आवेदिका के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीमः- अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), का0 रविकान्त कुशवाहा , म0का0 रीता देवी , म0का0 शिवांगी सिंह

अपील- जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 27 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8294 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 8294 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत नाथनगर से कालर द्वारा सूचना दी गयी कि शराब के नशें में बाइक से गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति(01.विशाल पुत्र रामचन्दर ग्राम महुली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घचना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को एम्वुलेंस की सहायता से सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 उपेन्द्र कुमार, हो0गा0चा0 त्रिभुवन चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 390 वाहनों से 4,36,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 17.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 390 वाहनों से 4,36,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 01 अदद एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री दिलीप सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 421/2026 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता रवि मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी गायघाट नोना नगर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को सिसवनिया मोड़ के पास से एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ निरुद्ध किया गया।

घटना का विवरण- दिनाँक 16.06.2026 को वादी श्री संजय पुत्र राम कृपाल निवासी टाड़ा धनघटा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर उनके घर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 421/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।
बरामदगी के आधारा पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।
बरामदगी का विवरण – चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल (यूपी 58 एएच 5378)।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि डा0 संजय के क्लिनिक से मैं मौका पाकर चोरी से उनकी मोटरसाईकिल की चाबी उठा लिया और उनकी मोटरसाईकिल चुराकर भाग गया। आज इस गाड़ी को कही छिपाने के लिए ले जा रहा था।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री वीर बहादुर यादव, का0 शरद कुमार राय, का0 मनोज यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री उमाशंकर त्रिपाठी*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 243/2026 धारा 8/20 NDPS Act थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र गिरि पुत्र फूलचन्द्र गिरि निवासी मोहल्ला ठठरहिया बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम छड़ना बाग के पास से 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ आज दिनाँक 17.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

धर्मेन्द्र गिरि पुत्र फूलचन्द्र गिरि निवासी मोहल्ला ठठरहिया बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 243/2026 धारा 8/20 NDPS Act थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

400 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ददन राय, का0 प्रवेश यादव, का0 अनूप यादव, का0 अनुज सिंह।